

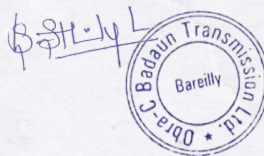
परिशिष्ट- 1.11
संरक्षित वन क्षेत्रों का विवरण

1- मार्ग पटरी

जिला	मार्ग का नाम	दूरी मील फर्लांग फीट / किमी० में	विज्ञप्ति संख्या
वाराणसी	बनारस-बलिया रोड (वाराणसी-गोरखपुर मार्ग)	1 से 4 मील तक (4.80 किमी०)	संख्या-1115 / XIV-331 -50 इण्डियन फारेस्ट एक्ट 1927 (एक्ट- XVI / 1927) की धारा-29 दिनांक 10 फरवरी 1960
--	सारनाथ रोड (आशापुर-सारनाथ)	1 मील 3 फर्लांग (2.00 किमी०)	--
--	बनारस-आजमगढ़ रोड	0 से 23 मील 1 फर्लांग (24 किमी०)	--
✓ --	जी०टी० रोड (एन०एच०-2 (किमी० 238-332= 94.00) (किमी० 0-8.00= 8.00)	423 मील से 477 मील, 2 फर्लांग (42 किमी०)	--
	योग	72.80 किमी०	

1- रेल पटरी

जिला	मार्ग का नाम	दूरी मील फर्लांग फीट / किमी० में	विज्ञप्ति संख्या
वाराणसी	भटनी से वाराणसी रेल पथ	किमी० (173-201) 28.00 किमी०	संख्या-8109 / चौदह-2 -503-77, भारतीय वन अधिनियम-1927 (अधिनियम संख्या-16, 1927) की धारा 29 दिनांक 25-1-1979
✓ --	वाराणसी से इलाहाबाद सिटी रेलपथ	किमी० (201-235) 34.00 किमी०	--
--	वाराणसी-मुगलसराय रेलपथ	किमी० (0-3) 3.00 किमी०	संख्या-3559 / चौदह-2- 503 भारतीय वन अधिनियम 1929 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 29 दिनांक 22-6-1978
	योग	65.00 किमी०	
	कुल योग	137.80 किमी०	



दाता श्री प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

परिशिष्ट - १०५ क्रमांक:

वन विभाग
अनुभाग- 2
अधिसूचना
22 जून - 1978 ई०

संख्या - 3559/ बीवह 2-503- भारतीय वन अधिनियम 1929 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 29 के अधीन शक्ति को और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश में रेलवे के दोनों तरफ सरकारी वन भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, संरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय - 1 और धारा - 88 के उपबन्ध लागू होंगे।

अनुसूची

पट्टी का नाम

विवरण और स्थिति

उक्त के लिये वन विभाग को अन्तर्गत उत्तरी रेलवे के निम्नलिखित वन संवर्धन के रेलवे और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि।

लखनऊ डिवीजन

- ✓ 1. लखनऊ - राय बरेली - प्रतापगढ़
2. वाराणसी - मुगलसराय
3. उत्तरडिया-सुल्तानपुर - जफराबाद
4. उन्नाव - ऊँचाहार
5. फैजाबाद-सुल्तानपुर-फाफामऊ।



आज्ञा सं
(एन०पी० विपान०)
सचिव

दाता की प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी